JALAUN POLICE

दिनांक – 02.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण – वादिया के साथ अभियुक्त द्वारा कारित की गयी घटना के संबन्ध में थाना आटा में वादिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 24.02.2020 को मु0अ0सं0 26/2020 (वाद संख्या 18/20) धारा 452/354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम दीपेन्द्र उर्फ झल्ला पुत्र शिवकुमार नि0 ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 07.07.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 02.05.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दीपेन्द्र उर्फ झल्ला उपरोक्त को धारा 452 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कारावास एवं 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।